भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3509
उत्तर देने की तारीख 10 अगस्त, 2026
19 श्रावण, 1948 (शक)

तमिलनाडु में सेवानिवृत्त खिलाड़ियों हेतु कल्याण योजनाएँ

3509. श्री अ. मनि:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तमिलनाडु में सेवानिवृत्त खिलाड़ियों, विशेषकर धर्मपुरी जिले के खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सहायता, पेंशन, चिकित्सा सहायता, बीमा कवरेज और अन्य कल्याणकारी लाभों सहित कोई कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ऐसी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हुए धर्मपुरी जिले सहित तमिलनाडु के सेवानिवृत्त खिलाड़ियों की संख्या का खेल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए रोजगार के अवसरों, प्रशिक्षण कार्यों, खेल प्रशासन, कौशल विकास और आजीविका सहायता के माध्यम से सेवानिवृत्ति के बाद सहायता प्रदान करने के लिए उपाय किए हैं; और

(घ) क्या विशेषकर धर्मपुरी जिले में युवा खिलाड़ियों को परामर्श देने के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय स्थिरता और सेवानिवृत्त खिलाड़ियों की निरंतर भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए कोई अतिरिक्त पहल किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ) : 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण खिलाड़ियों/सन्यास ले चुके खिलाड़ियों के कल्याण को बढ़ावा देने सहित खेलों के संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की होती है। तथापि, केंद्र सरकार स्कीमों/कार्यक्रमों/पहलों के माध्यम से सहायता करती है, जो इस प्रकार हैं:-

(i) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन के लिए खेल निधि स्कीम के माध्यम से सक्रिय खेल करियर से सन्यास से चुके खिलाड़ियों को जीवनपर्यंत 12,000/- रुपये से लेकर 20,000/- रुपये तक प्रति माह पेंशन के रूप में अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत खेलों से संन्यास ले चुके और ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेलों, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों, पैरा एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ी जीवनपर्यंत पेंशन के लिए पात्र हैं।

(ii) खिलाडियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ निर्धन परिस्थितियों में रहने वाले सेवानिवृत्त खिलाड़ियों; मृतक खिलाड़ियों के निर्धन परिस्थितियों में रहने वाले परिवार के सदस्यों; चिकित्सा उपचार; निर्धन परिस्थितियों में रहने वाले खिलाड़ी या उनके परिवार के आश्रित सदस्यों और कोच एवं सहायक खेल पेशेवरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान शामिल है। वित्तीय सहायता 10 लाख रुपए तक की है।

उपर्युक्त स्कीमों को तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले सहित पूरे देश में लागू किया जा रहा है। उपरोक्त स्कीमों के लाभार्थियों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट https://yas.gov.in पर उपलब्ध है।

(iii) सरकार ने 'रीसेट' (सन्यास ले चुके खिलाड़यों का सशक्तिकरण प्रशिक्षण) कार्यक्रम के माध्यम से सन्यास पश्चात पुनर्वास के लिए भी पहल की है, जिसका उद्देश्य सन्यास से चुके खिलाड़ियों को उनके शैक्षणिक विकास के लिए व्यक्ति-विशिष्ट शिक्षा प्रदान करके उनके करियर के विकास को सुविधाजनक बनाना है, साथ ही उन्हें इंटर्नशिप और उपयुक्त करियर विकल्प से जुड़ने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से सशक्त करना है।
